9.3.21

पत्रावली वास्ते आदेश पेश। बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 के अंतर्गत एकपक्षीय अथवा अंतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रावधान नही है। आदेश 39 नियम 01, 03, 03ए के प्रावधान अपवर्जित नही हैं। विरोधी पक्षकार को सुने बिना आदेश पारित नही करना चाहिये, परन्तु अपवाद वाले मामलों में न्यायालय एकपक्षीय अथवा अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है यदि तीन घटक की संतुष्टि हो।

ऐसे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को 01 माह की अवधि में निर्णीत करना चाहिये। कोई भी आदेश जारी करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना विधिक प्रावधानों के अनुरूप है परन्तु बिना सुनवाई के किसी भी प्रकार के आदेश अवैध आदेशों की श्रेणी में आता है।

तहत अदालत की आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 10.02.2021 से पूर्व जितनी भी तारीख पेशी नियत की गई हैं, उसमें प्रार्थी/अपीलांट द्वारा कोई तारीख पेशी नही ली गई। दिनांक 01.02.2021 में पत्रावली प्रार्थी की जबावदेही पर जबाबुल जबाव पेश करने में नियत थी परन्तु तहत अदालत द्वारा दिनांक 10.02.2021 को प्रार्थी को सुने बगैर ही एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.10.2020 प्रत्याहरित कर अपास्त किया गया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 19.10.20 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 में प्रथम दृष्टया केस पाए जाने पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी। परन्तु प्रार्थी को बिना सुने व सुनवाई का मौका दिए बिना ही दिनांक 10.02.21 को मनमर्जी विधि के विपरित आदेश पारित किया है जिसको खारिज कर आदेश दिनांक 19.10.20 को यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस गुणावगुण के आधार पर की है कि प्रथम दृष्टया केस बनना साबित नहीं है, विवादित आराजीयात में अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर केवल यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश 10.02.2021 पारित किया जाता है तथा वह वैध आदेश की श्रेणी में आता है?

तहत अदालत फर्द अहकाम दिनांक 19.10.2020 में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रथमदृष्टया केस बनना पाये जाने पर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को विवादित आराजीयात पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं। यह आदेश पूर्णतया अंतरिम आदेश की परिभाषा में आता है, जो अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के अधीन था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आदेश को दिनांक 10.02.2021 में प्रत्याहरित कर अपास्त किया गया है।

पत्रावली जबाबुल जबाव में नियत थी और न्यायालय को यदि यह लगता है कि प्रार्थीगण/अपीलांट अंतरिम निषेधाज्ञा पर बहस नही कर विभिन्न प्रार्थना पत्र बीच में पेश कर अंतरिम निषेधाज्ञा की अवधि तकनीकी रूप से बढ़वा रहे हैं तो इस तथ्य को आदेशिका में अंकन करना चाहिये था और अंतिम मौका वास्ते बहस अन्तरिम निषेधाज्ञा के दिया जाना चाहिये था।

जब अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 19.10.2020 को प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस बनना पाया गया था तो न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी विस्तृत विवेचन नही किया कि अब इसका केस प्रथमदृष्टया क्यों नही रहा है? ऐसा आदेश अवैध व कानून के विपरित है।

द्वितीय न्यायालय के आदेश में वर्णित है कि दिनांक 19.10.2021 के आदेश को आगे बढाने का कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, भी आदेश दिनांक 19.10.2020 को अपास्त करने का कोई आधार नही बनता क्योंकि जब तक न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.20 आदेश को खारिज नही किया जाता है, यह अवधारणा की जाती है कि ऐसे आदेश प्रचलन में हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.21 निरस्त किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 19.10.20 को यथावत रखा जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहत अदालत को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।